न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/634

1. श्रीमती नसीम खानम विधवा पत्नी श्री इसरार अहमद जाति मुसलमान ।
2. इरशाद अहमद आत्मज श्री इसरार अहमद ।
3. मुराद अहमद आत्मज श्री इसरार अहमद ।
4. दिलशाद अहमद आत्मज श्री इसरार अहमद ।
5. मुमशाह अहमद आत्मज श्री इसरार अहमद ।
6. इमदाद अहमद आत्मज श्री इसरार अहमद ।
7. नोशाद अहमद आत्मज श्री इसरार अहमद ।
8. गुलशाह अहमद आत्मज श्री इसरार अहमद जाति मुसलमान निवासीगण सी– 3 वक्फ नगर, कोटा ।
9. श्रीमती शहीदा खानम पुत्री श्री इसरार अहमद धर्मपत्नी श्री फिरोजखान जाति मुसलमान निवासी 8–डी 51 विज्ञान नगर, कोटा (विस्तार) ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मोहम्मद अहमद आत्मज श्री शरीफ अहमद जाति मुसलमान निवासी किशोरपुरा पार्क के पास तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 18.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 एवं श्रीमती खातून बेवा इसरार अहमद ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 244 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी कम 1 के पिता व वादी कम 2 के पति श्री इसरार अहमद को दिनांक 17.06.1962

को आवंटित हुई थी जिसका खातेदारी पट्टा दिनांक 22.01.65 को जारी किया गया । उक्त भूमि के वाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 251 रकबा 1.05 हैक्टर कायम किये गये । सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी आधार के उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज की जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06 फरवरी, 2009 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 13.02.2012 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज कर दी ।

5. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.02.2012 के खिलाफ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 08 अप्रेल, 2015 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्रस्तुत नये दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में पुनः गुणावगुण पर परीक्षण करते हुए रीजण्ड व स्पीकिंग निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्देशों की अनुपालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने निर्णय दिनांक 31.01.2017 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी पर वादीगण को गैर खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी इसरार अहमद को आवंटित हुई थी । इसरार अहमद की मृत्यु के बाद अपीलान्ट बहैसियत उत्तराधिकारी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 इसरार अहमद जी के बडे भाई श्री शरीफ अहमद का लडका है तथा वादी कम 02 स्व0 श्रीमती खातून शरीफ अहमद की धर्मपत्नी है । इसरार अहमद की मृत्यु के बाद अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । रेस्पोडेन्ट कम 1 ने फर्जी तौर पर अपने आपको इसरार अहमद का उत्तराधिकारी बता कर अधीनस्थ न्यायालय से डिक्री प्राप्त की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट आवंटी खातेदार इसरार अहमद जी के वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं तथा कानूनन खातेदार काश्तकार के रूप में उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । रेस्पोडेन्ट कम 1 ने फर्जी तौर पर अपने आपको इसरार अहमद का उत्तराधिकारी बता कर श्री इसरार अहमद, अपीलान्ट एवं राजस्थान राज्य से धोखाधडी कर उक्त निर्णय एंव डिक्री प्राप्त की है । अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें ।

9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण ने वादग्रस्त आराजी में अपना हित–निहित होना बताया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपने अपने हित प्रभावित होने का भी कथन किया है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होने का भी कथन किया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.11.2018 को नकल जमाबन्दी लेने पर नामान्तरकरण संख्या 771 से भूमि मोहम्मद अहमद के नाम दर्ज होने बाबत् मालूम चला जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

11. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पति एवं पिता को आवंटित की गई थी । दिनांक 22.01.1965 को गैर खातेदारी का पट्टा दिया गया था । सेटलमेंट के उपरान्त इसके नये खसरा नम्बर 251 रकबा 1.05 हैक्टर कायम किये गये हैं । दिनांक 19.04.2011 को इसरार अहमद का देहान्त हो गया था । अपीलान्ट बहैसियत वारिस उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । रेस्पोडेन्ट कम 01 और श्रीमती खातून ने इसरार अहमद को मृतक बताकर अपने–आपको इसरार अहमद का पुत्र एवं विधवा होना बताकर सन् 2006 में उपखण्ड अधिकारी, कोटा के समक्ष हक घोषणा का दावा पेश किया जबकि वादीगण इसरार अहमद के भाई एवं शरीफ मोहम्मद जी के पुत्र हैं । इसरार अहमद सन् 2006 में जीवित थे दौराने दावा श्रीमती खातून का देहावसान हो गया । अधीनस्थ न्यायालय ने इसरार अहमद के वारिस मानते हुए खातेदार घोषित करने की डिक्री पारित की है जबकि अपीलान्ट इसरार अहमद के विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं । अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

13. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वादीगण ने सरकार के खिलाफ हक घोषणा का पेश किया । पत्रावली पर असल आवंटन आदेश प्रदर्श– 1, आवंटन रजिस्टर की नकल प्रदर्श– 2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3, खसरा गिरदावरी प्रदर्श – 4, 91 एलआरएक्ट के नोटिस प्रदर्श– 5, नकल जमाबन्दी संवत् 2061–64 प्रदर्श–7, नकल खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श– 8, 9 एवं 10 पेश किये गये हैं ।

15. अपीलान्टगण का यह कथन है कि वो आवंटी श्री इसरार अहमद के विधिक वारिस हैं और आवंटी इसरार अहमद सन् 2006 में जीवित थे उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश की गई है जिसके अुनसार इसरार अहमद पुत्र छोटू खॉ की मृत्यु दिनांक 19.04.2011 को हुई है । अपील की पत्रावली में आधार कार्ड की प्रति भी पेश की गई है इसके अनुसार अपीलान्ट कम 1 श्रीमती नसीम खानम इसरार अहमद की पत्नी और अपीलान्ट कम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 09 को उनका पुत्र दर्शाया गया है । हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इसरार अहमद के विधिक वारिसान की जॉच के उपरान्त नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए इसरार अहमद के विधिक वारिसान की जॉच करवाने के उपरान्त नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा